लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2026–27/592 भोपाल, दिनांक 2/6/2026

//आदेश//

याचिकाकर्ता श्री रामदीन अहिरवार, ग्राम एवं पोस्ट पहाड़ी तिलवाडां तह. एवं जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका WP 1858/2025 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं :–

The innocuous prayer made on behalf of the petitioner is hereby accepted with a direction to the petitioner to resubmit his representation to the respondent 2 Director/Commissioner, Public Instructions, Bhopal within a period of 15 days and in turn, respondent 2 is directed to decide the representation of the petitioner within a further period of 60 days from the date of receipt of representation along with the certified copy of the order passed by this Court today by passing a reasoned and speaking order.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में शासकीय उत्कृष्ट उमावि. क्रमांक–1 टीकमगढ़ में सत्र 2024–25 में भूगोल विषय पर आमंत्रण के संबंध में उल्लेख किया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/विधि/अतिथि शिक्षक/2026/199 टीकमगढ़ दिनांक 13.02.2026 में दिए गए तथ्यों एवं प्रचलित नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं :–

3.1 शैक्षणिक सत्र 2023–24 में याचिकाकर्ता श्री रामदीन अहिरवार द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उमावि. क्रमांक–1 टीकमगढ़ मे अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ग–1 भूगोल विषय के पद पर अध्यापन कार्य कराया गया।

3.2 अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदकों के पंजीयन एवं योग्यता अपडेशन करना तथा संकुल से सत्यापन कराना होता है। इस हेतु प्रतिवर्ष सत्र के अंत में निश्चित समय–सीमा के लिए एजुकेशन पोर्टल खोला जाता है। प्रकरण में परीक्षण करने पर पाया गया है, कि याचिकाकर्ता द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 में पंजीयन अनलॉक किया गया, किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा जानकारी अपडेट कर आवेदन लॉक नहीं किया गया जिससे संबंधित के आवेदन की सत्यापन संबंधी कार्यवाही संकुल स्तर से नहीं की जा सकी। इस कारण स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाया।

3.3 एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त जानकारी अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संकुल शासकीय उमावि. कुंडेश्वर से दिनांक 30.05.2025 को पंजीयन कर सत्यापन कराया गया।

3.4 अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही विभागीय पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025 के निर्देशों के अनुसार की गई है।

4. उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 11.10.2018 के अनुक्रम में गत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित करने के निर्देश है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 में शासकीय उत्कृष्ट उमावि. क्रमांक–1 टीकमगढ़ में याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं रहा। शैक्षणिक सत्र 2025–26 में याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025 के अनुसार च्वाईसफिलिंग की गई। वर्तमान में पी.एम.श्री. उमावि. डेरी डाईसकोड–23080108210 वर्ग–1 भूगोल विषय में दिनांक 24.07.2025 से उपस्थित है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निराकृत किया जाता हैं।

Digitally signed by ABHISHEK SINGH
Date: 29-05-2026 17:00:54

आयुक्त
लोक शिक्षण, संचालनालय मप्र.

K/GT

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/ 593
प्रतिलिपि:–

भोपाल, दिनांक 2/6/2026

1. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
5. श्री रामदीन अहिरवार, ग्राम एवं पोस्ट पहाड़ी तिलवाडां तह. एवं जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, संचालनालय मप्र.

Scanned with OKEN Scanner